अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान एक्सक्यूशन वाद संख्या– 05/2007
श्रीमती पुरनोमी ग्वालीन एवं अन्य।
वनाम
चाम्पतु प्रधान एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद दिनांक– 22.10.2007 को 1. श्रीमती पुरनोमी ग्वालीन, पति– स्व० मोदीनी प्रधान, 2. श्रीमती सुकान्ता ग्वालीन, पति– सुरेन्द्र प्रधान, दोनों का पिता– स्व० कान्यो गौड़ , निवासी ग्राम– रामचन्द्रपुर, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा कोल्हान दीवानी वाद संख्या– 12/05–06 में पारित आदेश एवं डिक्री पर कार्यान्वयन हेतु 1. चाम्पतु प्रधान, 2. संजु वालिया प्रधान, दोनों के पिता– स्व० पाडु प्रधान, निवासी ग्राम– रामचन्द्रपुर, पो०– जैंतगढ़, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में दोनों पक्षों की ओर से लम्बे समय से अपना पक्ष नहीं रखने के कारण नोटिस भेजा गया। दोनों पक्षों द्वारा नोटिस लेने के बाद भी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं की गई है। इससे प्रतीत होता है की उभय पक्ष को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

30.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.02.02 12:24:07 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner